

आज दिनांक 18.02.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रमेश चन्द पुत्र स्व0 बेचन निवासी पताई थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 27 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0का0 धर्मनाथ यादव, का0 राजकुमार।

**01 अदद अवैध देशी रिवाल्वर व 01 अदद अवैध तमंचा तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक अदद अवैध देशी रिवाल्वर व 01 अदद अवैध देशी तमंचा तथा 02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ क्रमशः 02 अभियुक्त नाम पता 1- राजधानी साहनी पुत्र निर्मल साहनी 2- आकाश साहनी पुत्र फूलचन्द निवासीगण लोनिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को मड़या चौराहा से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 103/21 व 104/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिरुद्ध सिंह, उ0नि0 श्री दीपक दूबे, का0 सर्वेन्द्र गुप्ता, का0 विवेक राय।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 1489 द्वारा 03 लावारिस बच्चों को उनके परिजनों के किया गया सुपुर्द** – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत भगौतीपुर से इवेन्ट संख्या 04546 से कालर ने तीन लावारिस बच्चों के मिलने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर बच्चों के साथ किसी प्रकार की घटना के घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ** – मु0आरक्षी दिनेश प्रसाद, आ0 शैलेन्द्र यादव, हो0चा0 भीम कुमार।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनो से 61000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 18.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनो से 61000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।